सोशल ऑडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
Phone No.: 0522-2630878, e-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 420 /सो.आ.नि.-3/464(II)/ 23
दिनाँकः 30 जून, 2026

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल ऑडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट में टीम को फैसिलिटेट करने के लिये ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर / ब्लाक रिसोर्स पर्सन को ग्राम पंचायतों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक- 1151, दिनांक 20-12-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सोशल ऑडिट में टीम को फैसिलिटेट करने के लिये ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (Alphabetical Order) में व्यवस्थित कर सोशल आडिट कैलेण्डर में लगाये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में पूर्व से ही उक्त प्रक्रिया के अनुसार टीम को फैसिलिटेट करने हेतु ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति को लगाया जा रहा है, जिससे उन जनपदों में उक्त व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने पर रिसोर्स पर्सन्स को पूर्व में सोशल आडिट सम्पादित की गयी ग्राम पंचायतें ही सोशल आडिट हेतु पुनः आवंटित हो रही हैं।

अतः उक्त स्थिति को देखते हुये यदि किसी वित्तीय वर्ष में ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (Alphabetical Order) में A से Z के अनुसार व्यवस्थित कर तैयार की गई सूची के अनुसार सोशल आडिट कैलेण्डर में लगाया गया है तो अगले वित्तीय वर्ष में ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (Alphabetical Order) में Z से A के अनुसार व्यवस्थित कर तैयार की गई सूची के अनुसार सोशल आडिट कैलेण्डर में लगाया जायेगा। इस तरह प्रत्येक वर्ष गत वर्ष के विपरीत A से Z अथवा Z से A के अनुसार ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति को व्यवस्थित कर सोशल आडिट कैलेण्डर में लगाया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था इस पत्र के जारी होने के पश्चात् जारी होने वाले सभी सोशल आडिट कैलेण्डर में प्रभावी होगी। यदि जनपद में सोशल आडिट कैलेण्डर निर्गत किया जा चुका हो तो भविष्य में जारी किये जाने वाले सोशल आडिट कैलेण्डर में उक्त व्यवस्था का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
KAMLESH KUMAR
Date: 30-06-2026
14:56:37

(कमलेश कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/एस०आर०पी०, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला विकास अधिकारी, (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।

(कमलेश कुमार)
निदेशक